पाँच रुपये FIVE RUPEES | दस रुपये TEN RUPEES

CF 10/ 125

न्यायालयमाननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1२००६ निगरानी

R 1179/I/06

१। जगदीश पुत्र श्री शंकरलाल
२। रामभरोसी पुत्र श्री शंकरलाल
निवासीगण ग्राम लहरोनी, तहसील
कराहल, जिला श्योपुर, म०प्र० --

प्राथीगण

विरुद्ध

१। सियाबाई विधवा पत्नी श्री प्रभू
२। रामसेवक पुत्र श्री प्रभू उप सरपंच
३। जयप्रकाश पुत्र श्री प्रभू सचिव पंचायत
४। बसंती पुत्री श्री प्रभू
५। मालती पुत्री श्री प्रभू
सभी निवासीगण ग्राम लहरोनी, तहसील
कराहल, जिला श्योपुर० म०प्र०

६। बबली विधवा पत्नी श्री ब्रजेश
१। राजेश पुत्र श्री ब्रजेश
२। राहुल पुत्र श्री ब्रजेश
३। नीतू पुत्री श्री ब्रजेश
तीनों अवयस्क संरक्षक मां स्वयं बबली
विधवा पत्नी ब्रजेश निवासीगण ग्राम
लहरोनी, तहसील कराहल, जिला श्योपुर
म०प्र०

७। बनवारीलाल फौत वारिसान
१। ललिता विधवा पत्नी श्री बनवारी
लाल

-- २

R-1179. I/06

२। अखिलेस पुत्र श्री बनवारीलाल

३। पिंकी पुत्र श्री बनवारीलाल अवयस्क

४। विष्णू पुत्र श्री बनवारीलाल अवयस्क

संरक्षक माँ स्वयं ललिता विधवा

पत्नी श्री बनवारीलाल

सभी निवासीगण ग्राम लहरौनी, तहसील

करहल, जिला श्योपुर, म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग मुरैना दिनांक ३१-१०-०५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक १३१।०४-२००५ अपील ।

:-

हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1179-I/06 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.6.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 131/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–05 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एस0 के0 अवस्थी एवं अनावेदक कमांक 7 के वारिसान की ओर से श्री विनोद कुमार बंसल अभिभाषक के तर्क सुने गये । अनावेदक कमांक 1 से 6 सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण की स्थिति यह है कि ग्राम लहरोनी स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा के भूमिस्वामी प्रभूलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल कमांक 11 पर आदेश दिनांक 15–9–2003 से सियाबाई, रामसेवक, जय प्रकाश, बसंती, मालती का नामांतरण किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी कराहल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 1/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–5–05 से अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 131/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–05 से अपील अस्वीकार की गई है । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है जिसमें बताया गया है कि नामांतरण करते	प

समय इश्तहार का प्रकाशन सही ढ़ंग से नहीं किया गया एवं नामांतरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है ।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि नामांतरण करते समय इश्तहार के प्रकाशन बाबत् एवं नामांतरण नियम 27 का पालन न करने बाबत् अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये हैं और दोनों न्यायालयों द्वारा नामांतरण किये जाने बाबत् निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है ।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 131/04—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31—10—05 उचित पाये जाने से यथावत रखा जाता है ।

सदस्य